भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 954
11 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

घटिया इस्पात और इस्पात उत्पादों के आयात पर रोक लगाने हेतु तंत्र

954. श्री जग्गेश:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का भारतीय बाजारों में आ रहे घटिया इस्पात और इस्पात उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार गैर-बीआईएस अनुपालन वाले इस्पात और इस्पात उत्पादों की आवक को रोकने के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ग) क्या प्रस्तावित तंत्र आयातकों को स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए आने वाली आयात खेपों का पूर्व गुणवत्ता-अनुमोदन लेने के लिए बाध्य करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और घटिया इस्पात और इस्पात उत्पादों को रोकने के लिए योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (घ): भारतीय बाजारों में (स्वदेशी और विदेशी उत्पादकों से) घटिया इस्पात और इस्पात उत्पादों का प्रवेश न हो यह सुनिश्चित करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में 145 भारतीय मानकों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किया है। क्यूसीओ, बाजार में प्रवेश करने वाले इस्पात उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से अनिवार्य प्रमाणीकरण के माध्यम से संगत भारतीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अधिदेशित करता है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश प्लेन कार्बन स्टील, अलॉय स्टील और स्टेलनेस स्टील सहित 145 भारतीय मानकों के तहत मौजूद उन सभी इस्पात ग्रेडों पर लागू है जिसे क्यूसीओ के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। कोई भी इस्पात और इस्पात उत्पाद बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार एक वैध बीआईएस लाइसेंस के तहत बीआईएस मानक चिह्न के बिना भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता।

बीआईएस द्वारा, विनिर्माता की विनिर्माण और परीक्षण अवसंरचना के विस्तृत मूल्यांकन और भारतीय मानक के अनुसार उत्पाद की अनुरूपता सुनिश्चित करने के बाद स्वदेशी एवं विदेशी विनिर्माताओं के लिए संगत भारतीय मानक के अनुसार बीआईएस लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइसेंस प्रदान करने के बाद, स्वदेशी रूप से निर्मित या भारत में आयातित संगत भारतीय मानक की पुष्टि करने वाली सामग्री की प्रत्येक खेप पर बीआईएस मानक चिह्न होना अनिवार्य है।

इस्पात उत्पादों के विनिर्माण में मानक अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस नियमित आधार पर फैक्टरी के निरीक्षण और बाजार की निगरानी के जरिए निरंतर जांच भी करता है। क्यूसीओ के उल्लंघन के मामले में बीआईएस प्रवर्तन क्रियाकलाप भी करता है।

*****